[redacted]

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–1516 / दस–2008–308 / 97
लखनऊ : दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय – ज्ञाप

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित / समेकित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृत

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण हेतु की गयी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है तथा तदनुसार दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत पेंशनर एवं दिनाँक 01–10–2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय – ज्ञाप संख्या – सा–3–1508 / दस–2008, दिनाँक 08–12–2008 एवं कार्यालय – ज्ञाप संख्या – सा–3–1515 / दस–2008, दिनाँक 08–12–2008 निर्गत किए जा चुके है। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि औसत महँगाई मूल्य सूचकांक AICPI536 तक के महँगाई राहत के समायोजन के उपरान्त निम्नलिखित तिथियों में दर्शायी गयी दरों पर महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की है।

Date from which payble	Rate of Dearness Relief per mention
01-01-2006	No Demess Relief
01-07-2006	2% of Basic Pension / Family Pension
01-01-2007	6% of Basic Pension / Family Pension
01-07-2007	9% of Basic Pension / Family Pension
01-01-2008	12% of Basic Pension / Family Pension
01-07-2008	16% of Basic Pension / Family Pension

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनाँक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 तथा दिनाँक 01–07–2008 में स्वीकृत महँगाई राहत को तालिका मे दर्शायी गयी महँगाई राहत जिसे सरकारी पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है, को इस आदेश से अतिक्रमित करते हुए भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि को इन आदेशों के अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत से समायोजित कर ली जायेगी।

इस आदेश के प्रयोजन हेतु :–

(1)– ऐसी पेंशन / पारिवारिक पेशन सम्मिलित है जिसमें कर्मचारी की

सेवानिवृत्ति की दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व है एवं जिन मामलों मे पारिवारिक पेंशन दिनॉक 01-01-2006 से पूर्व स्वीकृत की गयी है तथा कार्यालय - ज्ञाप संख्या - सा-3-1515/दस-2008, दिनॉक-08-12-2008 के अधीन दिनॉक 01-01-2006 से समेकन किया गया है।

(2)- ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति दिनॉक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त हुयी है एवं जिन प्रकरणों में पारिवारिक पेशन प्रथम बार दिनॉक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त स्वीकृत हुई है जिनका निर्धारण कार्यालय - ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008, दिनॉक 08-12-2008 के अनुसार किया गया है, उनमें स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन की मूल पेंशन एवं मूल पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी।

1.2- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपया के गुणांक में आगणित होगी उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जायेगा।

1.3- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में यथा सेवायोजित / पुर्नयोजित पेंशनर एवं जिन मामलों में एक से अधिक पेंशनें अनुमन्य है शेष व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेगी।

2- यह आदेश सभी सरकारी सिविल पेंशन / पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होंगे।

2.1 यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व से निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

(3)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: सा-3- 1508 / दस-2008-308-97
लखनऊ : दिनाँक 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय – ज्ञाप

विषय – वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियो को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन/ ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एव राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश,2008 की संस्तुतियो को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दिनाँक 01-01-2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार पुनर्निर्धारण / समायोजन किया जायेगा।

2- यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरो पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्लराइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या – सा-3-969/दस-933/85, दिनाँक 08-08-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नही होंगे।

2-(1) प्रभावी होने की तिथि –

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनाँक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए है अथवा मृत हुए है। दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवको की पेशन / पारिवारिक पेशन के पुनरीक्षण के संदर्भ मे विस्तृत प्रकिया के संबंध मे पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे है।

2-(2)

जिन सरकारी सेवको के मामले मे दिनाँक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त पेशन / पारिवारिक पेंशन / मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन

—2/—

के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश मे निहित प्रकिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश मे निहित व्यवस्था के अधीन पेशन / पारिवारिक पेशन का पुनरीक्षण पेशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणो मे ऐसे पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

3-(1) परिलब्धियाँ –

पेशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक / डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियो से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम – 9 (21)(1) मे परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3-(2)

' वेतन '' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की सस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में पे बैंड तथा लागू ग्रेड पे से है तथा इसमे अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3-(3)

सेवानिवृत्ति / डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महँगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4-पेंशन

पेंशन की गणना पूर्व की भाँति, औसत परिलब्धियो पर दिये जाने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में पुर्नस्थापित पे बैंड के न्यूनतम तथा पे ग्रेड के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो वह अनुमन्य होगा परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनाशि रू0 3500/- प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनाँक 01-01-2006) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तद्नुसार राज्य सरकार की पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक सशोधित समझी जायेगी।

4-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद – 474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते है, उन्हें पेंशन अनुमन्य नही होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

4-(2)

वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है परन्तु तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि सरकारी सेवक को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी, सेवा करना अनिवार्य है। जो सरकारी

—3/—

सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते है उन्हे अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह मे आहरित वेतन का औसत के आधार पर जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी।

4–(3)

ऐसे सरकारी सेवक जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते है तथा पेंशन पाने के पात्र है, उन्हे भी उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

4–(4)

उपरोक्त प्रस्तर –4(2) एवं 4(3) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगे तथा उन सरकारी कार्मिकों पर लागू होंगे जो उक्त दिनॉक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होगे। जो सरकारी सेवक दिनॉक 01–01–2006 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु इस कार्यालय – ज्ञाप के जारी होने के मध्य सेवानिवृत्त हुए है उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे जो इस कार्यालय – ज्ञाप के जारी होने की तिथि के पूर्व लागू थे।

4–(5)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा रू0 3500/– प्रतिमाह तथा अधिकतम सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। (राज्य सरकार में दिनॉक 01–01–2006 से अधिकतम वेतन की धनराशि रूपया 80,000/– है)

4–(6)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स की संबंधित व्यवस्थाऍ उपरोक्त प्रस्तर – 1 से 5 मे पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार संशोधित समझी जाएगी। शेष व्यवस्थाऍ यथावत् लागू रहेगी।

4–(7)

वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य की जाएगी –

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20% प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 30% प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40% प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100% प्रतिमाह

पेंशन स्वीकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार – पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एव आयु का स्पष्ट उल्लेख करे जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एव भुगतान करने में सुविधा हो। पी0पी0ओ0 मे अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जाएगी उदाहरणतया यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेंशन की धनराशि रूपया 10,000.00 प्रतिमाह है तो उसमें मूल पेंशन रूपया 10,000/– तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन रूपया 2,000 होंगे। इसी प्रकार से 85 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन (क) रूपया 10,000.00 (ख) अतिरिक्त पेंशन रूपया 3,000 प्रतिमाह होगी।

5– ग्रेच्युटी

5–(1)

सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपया 10 लाख होगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 को सबधित नियम को दिनांक 01–01–2006 से सशोधित समझा जाएगा तथा नियम के अधीन सेवानिवृत्तिक / मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 10 लाख से अधिक नही होगी।

6–अर्हकारी से अतिरिक्त सेवा की गणना

उपरोक्त प्रस्तरो 1 से 5 में उल्लिखित पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तथा सबंधित नियम तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

7– नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965

पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन के 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम 24,000/– होगी।

7 (1)

वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी सेवक / पेंशनर की मृत्यु की दशा मे अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा सामान्य पेंशन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेंशन की धनराशि से अधिक नही तक पारिवारिक पेशन अनुमन्य होती है। दिनॉक 01–01–2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की मृत्यु की दशा मे उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए।

7–(2)

वृद्ध पारिवारिक पेशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेशनर की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20% प्रतिमाह
85 वर्ष परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 30% प्रतिमाह
90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40% प्रतिमाह
95 वर्ष परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर–4(7) के अनुसार की जाएगी।

7(3)

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा :–

वर्ग –I

(क) विधवा / विधुर, आजन्म अथवा पुर्नविवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र / पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह / पुर्नविवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग –(II)

(ग)– अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग–I से आच्छादित नहीं है, को विवाह / पुर्नविवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ)– ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल मे पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा / विधुर अथवा बच्चे नहीं छोडी है।

आश्रित माता – पिता अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग –II से आच्छादित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता / पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नही है तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार उसी ऐसी कोई संतान नही है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के कम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

(9...)

7—(4)

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7—(5)

संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुर्नविवाह के उपरान्त भी किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जाएगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों मे विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण – पत्र देना होगा जिसमे उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

8—पेंशन के एक भाग का राशिकरण

8—(1)

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी का राशिकरण करा लें।

8—(2)

पेंशन सराशिकरण की तालिका सम्बद्ध है तथा इस हेतु उ०प्र० कम्युटेशन आफ पेंशन रूल्स को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

8—(3)

पेंशन राशिकरण से संबधित पुनरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें इस कार्यालय – ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है जिन प्रकरणों में पेशन राशिकरण की कार्यवाही इस कार्यालय – ज्ञाप के निर्गत होने से पूर्व सम्पन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनॉक 01–01–2006 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा लें। इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में निर्धारित की गयी दरों के आधार पर किया जाएगा। इस कार्यालय – ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त राशिकरण के प्रकरणों में नई तालिका के अनुसार धनराशि आगणित की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रकाश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

—7/—

9- एक्स-ग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन

वर्तमान व्यवस्था के अधीन जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु सरकारी कार्य के दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप हो जाती है उन्हे राज्य सरकार द्वारा एक्स-ग्रेसिया की धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। इस कार्यालय - ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से पूर्व निर्धारित दरों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

रूपया

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10.00 लाख
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं / अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15.00 लाख
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊचाईयों/ दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15.00 लाख

संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

10-

ऐसे सरकारी कार्मिकों जिन्होंने दिनाँक 01-01-2006 से लागू नये वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते है उनकी पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी :-

(क)- पुनरीक्षित वेतनमान / निर्धारित पे बैंड तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि।

(ख)- शेष अवधि के लिए दिनाँक 01-01-2006 से पूर्व में अवधि में आहरित मूल वेतन / महँगाई वेतन तथा वास्तविक महँगाई भत्ता, जो कि दिनाँक 01-01-2006 को प्रभावी थे तथा संगत अवधि में आहरित किया गया है।

सरकारी सेवक जिन्होंने दिनाँक 01—01—2006 के पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है, के संबंध में विशेष व्यवस्था :—

12— ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने दिनाँक 01—01—2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है और अब दिनाँक 01—01—2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे है उनकी पेंशन / मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा :—

(1)— " परिलब्धियों " शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर महँगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य महँगाई राहत (वर्ष 1982 = 100 के आधार पर) पर आगणित होगी।

(2)— पेंशन की गणना परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियों, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पर की जाएगी।

(3)— मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 12(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य महँगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा रूपया 3,50,000/— (तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नही होगी।

(4)— पेंशन राशिकरण की दरें वही होगी जैसा कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थे।

(5)— पारिवारिक पेंशन की गणना / स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसी गणना दिनाँक 01—01—2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982—100 के आधार पर) निर्धारित महँगाई राहत, जैसी कि शासनादेश संख्या—सा—3—1746/दस—308/05, दिनाँक 02—12—2005 में बताई गयी है को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही महँगाई राहत की गणना की जाएगी।

(6)— उपरोक्त संदर्भित संशोधनो के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स /उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961/ उ0प्र0 लिबरलाइज पेंशन रूल्स 1961 / उ0प्र0 असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन स्कीम के आधीन यथाआवश्यक नियम / व्यवस्थाएँ संशोधित समझे जाएँगे तथा शेष नियम / व्यवस्थाएँ पूर्ववत् रहेगी।

(7)- इस कार्यालय- ज्ञाप के आधार पर आगणित / अनुमन्य पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर AICPI-536 के औसत के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाला महँगाई राहत अनुमन्य होगा।

(8)-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

दिनॉक 01-01-2006 से दिनॉक 30-11-2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जाए। पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षो में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष मे ही किया जाए। पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

किसी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए।

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2)-समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0,
(3)-समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालयसूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पॉच प्रतियॉ)

संख्या - सा-3-1508(1)/दस-2008, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग। प्रत्येक को एक प्रति
2- सचिव, विधान सभा, परिषद,विधान भवन, लखनऊ -5 प्रतियॉ-
प्रत्येक को पॉच

3– निदेशक, वित्त एव लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ –5 प्रतियॉ–

4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ –5 प्रतियॉ–

6– सूचन. निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ। –5 प्रतियॉ–

7– मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद –5 प्रतियॉ–

8– मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। –5 प्रतियॉ–

9– वित्त नियत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर। –5 प्रतियॉ–

10– उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ। –5 प्रतियॉ–

11– इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ। –5 प्रतियॉ–

12– मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खादय एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। –5 प्रतियॉ–

नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, महानिरीक्षक, होमगार्डस, उ0प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झॉसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

ANNEXURE

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re. 1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.190	61	8.194		